उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–119/ग्यारह–9(34)/12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(86)–2013
लखनऊ::दिनांक:: 01 फरवरी, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 2 मई, 2013 से प्रारम्भ होकर दिनांक 5 मई, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए0डी0बी0) के बोर्ड आफ गवर्नर्स की 46वीं प्रस्तावित वार्षिक बैठक के सम्बन्ध में विभिन्न संव्यवहारों में अन्तर्ग्रस्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के व्यवहारी द्वारा माल के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा, यदि ऐसा व्यवहारी उक्त माल के क्रय के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा यथानिर्धारित प्रारूप में उक्त बैंक से प्रमाण–पत्र प्राप्त करके अपने कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दे।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।